

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया प्रत्याभूति क्रेडिटर्स की वेबसाइट अर्थात् www.unionbankofindia.co.in एवं वेबसाइट <https://baanknet.com> में प्राक्कथित लिंक पर जाएं। ईमेल ड्रा-सकर/ईमेल ड्रा-सकर से सम्बन्धित किसी भी समस्या या क्विरी एवं खर्चा से सम्बन्धित किसी भी विषय में, कृपया हेल्प डेस्क सं. 82912 20220 पर सम्पर्क कर सकते हैं और ई-मेल अर्थात् support.baanknet@psballiance.com पर लिख सकते हैं। संपर्क विवरण लिंक <https://baanknet.com> के लॉगिन पेज के हेल्प डेस्क में भी प्राक्कथित है। पंजीकरण एवं लॉगइन एवं क्रेडिट के नियमों के लिए <https://baanknet.com> पर जाएं।

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 - नियम 8(6) / नियम 9(1) के तहत 15 दिन की सैवधानिक बिक्री सूचना

इसे ऊपर निर्दिष्ट तिथि पर ई-नीलामी बिक्री को आयोजित करने के बारे में ऊपर निर्दिष्ट ब्याज शर्तों के अन्तर्गत, रهنकर्ताओं और गारंटर्स को प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 के नियम 6(2), 8(6) एवं नियम 9(1) को तहत सूचना भी मानी जाएगी।

दिनांक : 11.03.2026

स्थान : चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

punjab national bank

...the name you can BANK upon!

आसित वसुली प्रबंधन शाखा (एआरएमबी)

एससीओ 60-61, प्रथम तल, बैंक स्क्वयर, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़-160017 ईमेल : cs8214@pnbank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूति ऋणदाता को ज्ञात ऋणभारों का विवरण: ज्ञात नहीं

प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित प्रतिभूति ब्याज अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनः निर्माण तथा प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता विशेष रूप से ऋणकर्ता(ओं) एवं गारंटर(ओं) को एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति ऋणदाता को रहन/प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का निर्माण/भौतिक/संवित्तिक कब्जा जोकि, पंजाब नेशनल बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है को सम्बन्धित ऋणकर्ताओं और गारंटर्स से पंजाब नेशनल बैंक/प्रतिभूति ऋणदाता को देय इसकी बकाया राशि को वसूली हेतु निम्न तालिका में निर्दिष्ट अनुसार तिथियों पर "जैसे है जहां है" "जैसे है जो है" एवं "जो कुछ भी वहां है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित कीमत एवं जमा धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के प्रति निम्न तालिका में निर्दिष्टानुसार होगी।

प्रतिभूति आस्तियों की बिक्री की अनुसूची

लॉट सं.	शाखा का नाम	अचल रहन रखी संपत्ति का ब्योरा एवं स्वामि(यों)/रहनकर्ता का नाम	मांग सूचना की तिथि		आरक्षित कीमत	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
	खाते का नाम		बकाया राशि	कब्जे की तिथि		
	ऋणकर्ता/गारंटर्स का नाम एवं पता		कब्जे की प्रकृति		जमा धरोहर राशि (ईएमवी)	
					संवर्द्धित बोली राशि	
1.	शाखा:- एआरएमबी, सेक्टर 17-बी, चंडीगढ़ मैसर्स शिवालिक ऑटोमोबाइल्स	1. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व में विक्रय विलेख संख्या 708/1 दिनांक 11.05.2007 के अंतर्गत पंजीकृत ग्राम धनकोर, आबादी सुभाष नगर (बलदेव नगर), अंबाला शहर में स्थित आवासीय भूमि प्लॉट संख्या 107, क्षेत्रफल 207 वर्ग गज। बैंक को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: टिप्पणी: मूल्यांकनकर्ता डिजाइनो ग्राफ को रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन सूचना अधिसूचना संख्या CCP(NCR)/AMB/FDP/2012/2916, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन के आसपास बम डिपो के क्षेत्र में बाहर सी गज और नौ सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी प्रस्तावित है। अंबाला छावनी स्थित वायु सेना स्टेशन के आसपास भी सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी है। इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र: 3 मार्च, 2007, भाग-II, खंड 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2007 के अनुसार, भारतीय वायु सेना स्टेशन की बाहरी दीवार की चौड़ी से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण, सृजन या स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कोई वृक्षारोपण किया जाएगा।	21.04.2017 Rs. 2,53,02,857.45 लागत सहित, साथ ही 01.03.2017 से प्रभावी भविष्य का ब्याज और शुल्क, यदि कोई वसूली हुई हो तो उसे पड़कर। 23.06.2017 सांकेतिक कब्जा	RP: Rs. 4,42,800/- EMD: Rs. 44,280/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 10,000/-	30.03.2026 पूर्वा: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे	
	मैसर्स शिवालिक ऑटोमोबाइल्स अपने मालिक श्री राजेश कुमार, एससीओ 1020 रामनगर, लखनमन सिंह एचपी, पेट्रोल पंप के सामने कालका, जिला पंचकुला-133304, श्री राजेश कुमार (मालिक), मकान नंबर. 29 ए, ब्लॉक नंबर 2 धर्मपुर कालोनी पिंजौर जिला पंचकुला-134104, श्रीमती अनुराधा (गारंटर) मकान नंबर 29 ए, ब्लॉक नंबर 2 धर्मपुर कालोनी पिंजौर जिला पंचकुला-134104 के माध्यम से।	2. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व में विक्रय विलेख संख्या 701/1 दिनांक 11.05.2007 के अंतर्गत पंजीकृत ग्राम धनकोर, आबादी सुभाष नगर (बलदेव नगर), अंबाला शहर में स्थित आवासीय भूमि प्लॉट संख्या 112, क्षेत्रफल 222.75 वर्ग गज। बैंक को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: टिप्पणी: मूल्यांकनकर्ता डिजाइनो ग्राफ को रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन सूचना अधिसूचना संख्या CCP(NCR)/AMB/FDP/2012/2916, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन के आसपास बम डिपो के क्षेत्र में बाहर सी गज और नौ सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी प्रस्तावित है। अंबाला छावनी स्थित वायु सेना स्टेशन के आसपास भी सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी है। इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र: 3 मार्च, 2007, भाग-II, खंड 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2007 के अनुसार, भारतीय वायु सेना स्टेशन की बाहरी दीवार की चौड़ी से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण, सृजन या स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कोई वृक्षारोपण किया जाएगा।		RP: Rs. 4,76,100/- EMD: Rs. 47,610/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 10,000/-	30.03.2026 पूर्वा: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे	
		3. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व में विक्रय विलेख संख्या 707 दिनांक 11.05.2007 के अंतर्गत पंजीकृत ग्राम धनकोर, आबादी सुभाष नगर (बलदेव नगर), अंबाला शहर में स्थित आवासीय भूमि प्लॉट संख्या 102 बैंक को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: टिप्पणी: मूल्यांकनकर्ता डिजाइनो ग्राफ को रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन सूचना अधिसूचना संख्या CCP(NCR)/AMB/FDP/2012/2916, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन के आसपास बम डिपो के क्षेत्र में बाहर सी गज और नौ सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी प्रस्तावित है। अंबाला छावनी स्थित वायु सेना स्टेशन के आसपास भी सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी है। इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र: 3 मार्च, 2007, भाग-II, खंड 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2007 के अनुसार, भारतीय वायु सेना स्टेशन की बाहरी दीवार की चौड़ी से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण, सृजन या स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कोई वृक्षारोपण किया जाएगा।		RP: Rs. 4,32,000/- EMD: Rs. 43,200/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 10,000/-	30.03.2026 पूर्वा: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे	
		4. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व में विक्रय विलेख संख्या 934/1 दिनांक 24.05.2007 के अंतर्गत पंजीकृत ग्राम धनकोर, आबादी सुभाष नगर (बलदेव नगर), अंबाला शहर में स्थित आवासीय भूमि प्लॉट संख्या 104, क्षेत्रफल 210.83 वर्ग गज। बैंक को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: टिप्पणी: मूल्यांकनकर्ता डिजाइनो ग्राफ को रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन सूचना अधिसूचना संख्या CCP(NCR)/AMB/FDP/2012/2916, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन के आसपास बम डिपो के क्षेत्र में बाहर सी गज और नौ सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी प्रस्तावित है। अंबाला छावनी स्थित वायु सेना स्टेशन के आसपास भी सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी है। इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र: 3 मार्च, 2007, भाग-II, खंड 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2007 के अनुसार, भारतीय वायु सेना स्टेशन की बाहरी दीवार की चौड़ी से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण, सृजन या स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कोई वृक्षारोपण किया जाएगा।		RP: Rs. 4,50,900/- EMD: Rs. 45,090/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 10,000/-	30.03.2026 पूर्वा: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे	
		5. श्री राजेश कुमार पुत्र श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व में विक्रय विलेख संख्या 2614/1 दिनांक 11.08.2007 के अंतर्गत खता सं. 9/25/3 पंजीकृत ग्राम धनकोर, आबादी सुभाष नगर (बलदेव नगर), अंबाला शहर में स्थित आवासीय भूमि प्लॉट क्षेत्रफल 855 वर्ग गज। बैंक को ज्ञात किसी भी प्रकार के भार का विवरण, जिसके लिए संपत्ति उत्तरदायी है: टिप्पणी: मूल्यांकनकर्ता डिजाइनो ग्राफ को रिपोर्ट दिनांक 14.07.2025 के अनुसार जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया था कि नगर एवं ग्रामीण नियोजन सूचना अधिसूचना संख्या CCP(NCR)/AMB/FDP/2012/2916, दिनांक 06.09.2012 के अनुसार, वायु सेना स्टेशन के आसपास बम डिपो के क्षेत्र में बाहर सी गज और नौ सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी प्रस्तावित है। अंबाला छावनी स्थित वायु सेना स्टेशन के आसपास भी सी मीटर की प्रतिबंधित पट्टी है। इसके अतिरिक्त, भारत के राजपत्र: 3 मार्च, 2007, भाग-II, खंड 4, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 2007 के अनुसार, भारतीय वायु सेना स्टेशन की बाहरी दीवार की चौड़ी से 100 मीटर की सीमा के भीतर किसी भी भूमि पर कोई भवन या संरचना का निर्माण, सृजन या स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कोई वृक्षारोपण किया जाएगा।		RP: Rs. 1,79,820/- EMD: Rs. 1,79,820/- संवर्द्धित बोली राशि Rs. 10,000/-	30.03.2026 पूर्वा: 11:00 बजे से अप. 4:00 बजे	

नोट : सभी संपत्तियों हेतु संपर्क व्यक्ति : पंजाब नेशनल बैंक, प्राधिकृत अधिकारी श्री राजीव मिन्हास, मुख्य प्रबंधक, एआरएमबी, चंडीगढ़, मोबाईल नं. : 7018498637

ई-नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्त :-

बिक्री निम्न अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों एवं शर्तों के विषय में होगी:-

- (1) संपत्ति की बिक्री "जैसे है जहां है आधार" एवं "जो कुछ भी है जहां है आधार" पर की जाएगी।
- (2) उपरोक्त निर्दिष्ट अनुसूची में निर्दिष्ट प्रत्याभूति परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी को सर्वोत्तम जानकारी अनुसार निर्दिष्ट किया गया है, परन्तु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत कथन या खिलौपन हेतु जिम्मेवार नहीं होगा।
- (3) नीलामी बिक्री ई-ऑक्शन पोर्टल <https://baanknet.com> द्वारा ऑनलाइन की जाएगी।
- (4) बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया <https://baanknet.com> एवं www.pnbindia.in पर जाएं।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक बिक्री सूचना

दिनांक : 09.03.2026

स्थान : चंडीगढ़

प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नेशनल बैंक, एआरएमबी, चंडीगढ़

Amar Ujala Date: 12.03-2026